

प्रेषक,

सेवा में

उपायुक्त, गुरुग्राम।

M/s DLF Home Developers Limited,
Gateway Tower (2nd Floor),
DLF City Phase-III, Gurugram-122002, Haryana.

क्रमांक 54 / एम0बी0

दिनांक 27/5/2022

विषय:-

Report of the Tehsildar Gurugram through the office of DC that the land of the project does not fall under MoEF Aravalli Notification S.O 319(E) dated 7th May 1992: NOC Forest and Aravalli Certificate for proposed project of 67 SCOs, Sector 67, Village Badshahpur, Gurugram, Haryana.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, बादशाहपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 155/आर.सी. दिनांक 19.05.2022 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:- प्रार्थी M/s DLF Home Developers Limited, Gateway Tower 11th Floor, DLF City Ph III, Gurugram-122002 की प्रस्तावित भूमि मौजा बादशाहपुर, उप-तहसील बादशाहपुर जिला गुरुग्राम जमाबन्दी साल 2015-16 की खेवट न0 525 मु0/किला न0 131/19(8-0) व खेवट न0 532 मु0/किला न0 131//9/2/2(2-14), 10/2(3-7), किते 2 रकबा 6 कनाल, 1 मरला व खेवट न0 1773 मु0/किला न0 132//7/2/2(2-10), 14/1(1-12), किते 2 रकबा 4 कनाल 2 मरला व खेवट न0 1773 मु0/किला न0 132//16/2(2-13), 24(1-12), 25(8-0) किते 3 रकबा 12 कनाल 5 मरला खेवट न0 1778 मु0/किला न0 131//20/1(1-11), 20/2(6-9), 21(8-0), 22(8-0), 132//6/2(3-7) किते 5 रकबा 27 कनाल 7 मरला व खेवट न0 1903 मु0/किला न0 132//14/2/1(0-18), 15/1(3-2) किते 2 रकबा 4 कनाल 0 मरला खेवट न0 1918 मु0/किला न0 131//12/1(7-17) कुल रकबा 69 कनाल 12 मरला (8.70 एकड़) सालम की मलकियत M/s DLF Home Developers Limited की है के संदर्भ में मागी गई विन्दवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा न0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात मिसल हकियत चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रून्द नहीं है।
3. 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व भूमि किस्म चाही गैर मुमकिन व पश्चात किस्म चाही मगदा, गैर मुमकिन दर्ज है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी भूमि मुतनाजा मिसल हकियत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही।
5. अराजी मुतनाजा पर मुताबिक जमाबन्दी साल 2015-16 के अनुसार किसी माननीय न्यायालय के केस का इन्द्राज नहीं है।
6. उपरोक्त मुतनाजा भूमि SEZ(Special Economical Zone) का राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला न0 पर मुताबिक जमाबन्दी साल 2015-16 के अनुसार धारा 4, 6 व अवार्ड का इन्द्राज दर्ज नहीं है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2584-जी0 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 24.12.2021 (M/s DLF Home Developers Ltd.) को गांव बादशाहपुर की 8.698 एकड़ की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन आनलाईन जारी

की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant M/s DLF Home Developers Ltd., Land Measuring 8.698(Acre) having Rect. No. 131 Killa Nos 9/2Min(2-14), 10/2(3-7), 12 Min (7-16.8), 19(8-0), 20/1(1-11), 20/2(6-9), 21(8-0), 22(8-0), Rect No. 132 Killa No. 6/2(3-7), 7/2/2(2-10), 14/1(1-12), 14/2/1(0-18), 15/1(3-2), 16/2(2-13), 24(1-12), 25(8-0) Land located at village Badshahpur District Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurgaon.
- C) If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s DLF Home Developers Ltd. whose land is located at Village/City Badshahpur District Gurgaon must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurgaon the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification is hereby Issued Subject to The Conditions Mentioned Above & Separate Permission Under Forest Conservation Act 1980 Is Required If Applicable.

अतः नायब तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Badshahpur, Sector-67, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जानी उचित होगी कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किराी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवाई आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरो की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Separate Permission Under Forest, Conservation Act 1980 Is Required If Applicable अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।


कृ. उपर्युक्त, गुरुग्राम।